

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।

पत्रांक : डी/24/मु0अ0/का0वि0प्रा0/2026-27

दिनांक : 12/5/26

ई-निविदा

कानपुर विकास प्राधिकरण में पंजीकृत/अपंजीकृत फर्मों से निम्नलिखित कार्यों हेतु टेण्डरिंग के माध्यम से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र० सं०	कार्य का नाम	बी०ओ०क्यू० धनराशि (रु० लाख में)	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)	निविदा मूल्य जी०एस०टी० सहित (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा डालने की अन्तिम तिथि एवं समय	तकनीकी बिड/निविदा खोलने की तिथि एवं समय	वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय	श्रेणी/जोन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	किदवई नगर स्थित संजय वन के सौन्दर्यीकरण एवं मरम्मत, सुदृढीकरण का कार्य।	177.50	3.56	7,080.00	09 माह	10.06.2026 अपराह्न 5:00 बजे तक	11.06.2026 पूर्वाह्न 12:00 बजे	तकनीकी बिड स्वीकृति के बाद सूचित की जायेगी	बी (सिविल)
2	प्राधिकरण की मैनावती मार्ग स्थित के०डी०ए० ग्रीन्स योजना एवं शताब्दी नगर स्थित के०डी०ए० ड्रीम्स योजना में तीन वर्ष के अनुरक्षण कार्य हेतु मैनपॉवर की आपूर्ति एवं उक्त दोनों योजनाओं के मुख्य द्वार पर सुरक्षा गार्ड की आपूर्ति का कार्य।	160.71	3.22	7,080.00	36 माह	25.05.2026 अपराह्न 5:00 बजे तक	26.05.2026 पूर्वाह्न 12:00 बजे	तकनीकी बिड स्वीकृति के बाद सूचित की जायेगी	बी (सिविल)
3	मामा तालाब, ग्राम मसवानपुर, कानपुर नगर में 100 के०एल०डी० क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (ईबीआर+एमबीआर+ओजोन+यूवी ट्रीटमेन्ट पर आधारित, ग्रिड से जुड़े सोलर से संचालित) का निर्माण एवं 05 वर्षों के लिए संचालन और रखरखाव का कार्य।	105.00	2.10	7080.00	06 माह	25.05.2026 अपराह्न 5:00 बजे तक	26.05.2026 पूर्वाह्न 12:00 बजे	तकनीकी बिड स्वीकृति के पश्चात	बी (सिविल)

नियम व शर्तें :-

- क्र०सं०-1,2 व 3 पर उल्लिखित कार्य की निविदा टू-बिड पद्धति (तकनीकी एवं वित्तीय) पर प्राप्त की जायेगी।
- क्र०सं०- 1,2 व 3 पर अंकित निविदा में कानपुर विकास प्राधिकरण के अतिरिक्त उ०प्र० के समस्त विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद में पंजीकृत टेकेदार अपनी पंजीकृत श्रेणी की निविदा में भाग करने हेतु पात्र होंगे, किन्तु अन्य प्राधिकरणों/आवास विकास परिषद में पंजीकरण के आधार पर प्रतिभाग करने वाले निविदादाताओं को निविदा स्वीकृति की स्थिति में नियमानुसार कानपुर विकास प्राधिकरण में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- क्र०सं०-1,2 व 3 पर उल्लिखित कार्य हेतु निविदाएं ऑन लाइन डालने हेतु निविदादाताओं के पास उ०प्र० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि० लखनऊ अथवा कन्ट्रोलर आफ सर्टीफाइंग अथारिटीज, भारत सरकार द्वारा नियुक्त सर्टीफाइंग अथारिटीज या उनके रजिस्ट्रिंग अथारिटीज में से किसी एक से निर्धारित शुल्क जमा करके प्राप्त डिजिटल सिग्नेचर सर्टीफिकेट होना अनिवार्य है।
- क्र०सं०-1,2 व 3 पर उल्लिखित कार्य हेतु निविदा प्रपत्र वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध है।
- कॉलम-4 में अंकित धरोहर धनराशि व कॉलम-5 में अंकित निविदा मूल्य को आर०टी०जी०एस० /एन०ई०एफ०टी० के माध्यम से प्राधिकरण के खाता संख्या 100037449266 आई.एफ.एस.सी. कोड-आई.एन.डी.बी. 0000041 इण्डसट्रिज बैंक, शाखा स्वरूप नगर, कानपुर में निविदा डालने से पूर्व जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

Te

6. क्र०सं०-1,2 व 3 पर उल्लिखित कार्य हेतु निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर धनराशि एवं निविदा मूल्य जमा कराये जाने सम्बन्धी यूटीआर की स्कैन्ड प्रति सम्बन्धित बैंक द्वारा सत्यापित कराते हुए अपलोड करना अनिवार्य है।

7. निविदा खोलने के दिन अवकाश की स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।

8. निविदादाता द्वारा आगणित दरों से निम्न निविदा डालने की स्थिति में परफारमेन्स गारन्टी एन०एस०सी०/एफ०डी०आर०/बैंक गारन्टी के रूप में निम्न नियम व शर्तों के अनुसार अनुबन्ध निष्पादन से पूर्व विभाग में जमा करनी होगी, जो वित्त नियंत्रक, कानपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक होगी।

(क) आगणन दर से 10 प्रतिशत तक निम्न निविदा डाले जाने पर।

• यदि निविदादाता/टेकेदार द्वारा निविदा 10 प्रतिशत तक निम्न डाली जाती है, तो विशेष सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-12 उ० प्र० शासन के शासनादेश संख्या 622/23-12-2012-2 आडिट/08टी०सी०-2 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत निम्न तक 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक निम्न दर पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त परफारमेन्स आंकलित परफारमेन्स गारन्टी देय होगी, जो वित्त नियंत्रक, कानपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक होगी। यह धनराशि अनुबन्ध निष्पादन से पूर्व विभाग में जमा करनी होगी।

(ख) आगणन दर से 10 प्रतिशत से अधिक व 15 प्रतिशत तक निम्न निविदा डाले जाने पर।

यदि निविदादाता/टेकेदार द्वारा निविदा 10 प्रतिशत से अधिक व 15 प्रतिशत तक निम्न डाली जाती है, तो विशेष सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-12 उ० प्र० शासन के शासनादेश संख्या 622/23-12-2012-2 आडिट/08टी०सी०-2 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार आंकलित परफारमेन्स गारन्टी का 02 गुना देय होगा तथा डिफेक्ट लायबिलिटी पीरीयड की अवधि 02 वर्ष होगी तथा परफारमेन्स गारन्टी तालिका अनुसार अवमुक्त की जायेगी।

क्रम सं०	वर्ष	जमानती धनराशि अवमुक्त किये जाने की सारणी	परफारमेन्स गारन्टी धनराशि अवमुक्त किये जाने की सारणी
1.	अन्तिम भुगतान का वर्ष	प्रथम 05 प्रतिशत	20 प्रतिशत
2.	अन्तिम भुगतान के पश्चात प्रथम वर्ष	निल	30 प्रतिशत
3.	अन्तिम भुगतान के पश्चात द्वितीय वर्ष	अन्तिम 05 प्रतिशत	50 प्रतिशत

(ग) आगणन दर से 15 प्रतिशत से अधिक व 20 प्रतिशत तक निम्न निविदा डाले जाने पर।

यदि निविदादाता/टेकेदार द्वारा निविदा 15 प्रतिशत से अधिक व 20 प्रतिशत तक निम्न डाली जाती है, तो विशेष सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-12 उ० प्र० शासन के शासनादेश संख्या 622/23-12-2012-2 आडिट/08टी०सी०-2 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार आंकलित परफारमेन्स गारन्टी का 02 गुना देय होगा तथा डिफेक्ट लायबिलिटी पीरीयड की अवधि 03 वर्ष होगी तथा परफारमेन्स गारन्टी तालिका अनुसार अवमुक्त की जायेगी।

क्रम सं०	वर्ष	जमानती धनराशि अवमुक्त किये जाने की सारणी	परफारमेन्स गारन्टी धनराशि अवमुक्त किये जाने की सारणी
1.	अन्तिम भुगतान का वर्ष	प्रथम 05 प्रतिशत	10 प्रतिशत
2.	अन्तिम भुगतान के पश्चात प्रथम वर्ष	निल	20 प्रतिशत
3.	अन्तिम भुगतान के पश्चात द्वितीय वर्ष	निल	20 प्रतिशत
4.	अन्तिम भुगतान के पश्चात तृतीय वर्ष	अन्तिम 05 प्रतिशत	50 प्रतिशत

(घ) आगणन दर से 20 प्रतिशत से अधिक निम्न निविदा डाले जाने पर।

यदि निविदादाता/टेकेदार द्वारा निविदा 20 प्रतिशत से अधिक निम्न डाली जाती है, तो विशेष सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-12 उ० प्र० शासन के शासनादेश संख्या 622/23-12-2012-2 आडिट/08टी०सी०-2 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार आंकलित परफारमेन्स गारन्टी का 03 गुना देय

होगा तथा डिफेक्ट लायबिलिटी पीरीयड की अवधि 05 वर्ष होगी तथा परफार्मेंन्स गारन्टी तालिका अनुसार अवमुक्त की जायेगी।

क्रम सं०	वर्ष	जमानती धनराशि अवमुक्त किये जाने की सारणी	परफार्मेंन्स गारण्टी धनराशि अवमुक्त किये जाने की सारणी
1.	अन्तिम भुगतान का वर्ष	प्रथम 05 प्रतिशत	05 प्रतिशत
2.	अन्तिम भुगतान के पश्चात प्रथम वर्ष	निल	10 प्रतिशत
3.	अन्तिम भुगतान के पश्चात द्वितीय वर्ष	निल	10 प्रतिशत
4.	अन्तिम भुगतान के पश्चात तृतीय वर्ष	निल	10 प्रतिशत
5.	अन्तिम भुगतान के पश्चात चतुर्थ वर्ष	निल	15 प्रतिशत
6.	अन्तिम भुगतान के पश्चात पंचम वर्ष	अन्तिम 05 प्रतिशत	50 प्रतिशत

9. कार्यों पर जी०एस०टी० का भुगतान तथा अन्य करों की कटौती तत्समय प्रचलित नियमों के अधीन पृथक से अनुमन्य होगा।
10. निविदा सूचना में किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा अतिरिक्त सूचना प्राधिकरण की वेबसाइट पर ही उपलब्ध रहेगी। इसके लिए समाचार पत्रों में कोई विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं की जायेगी।
11. प्राप्त समस्त निविदाओं अथवा किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार समाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण में निहित होगा, जिसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

प्र० अधि० अभि० (जोन-1)

प्र० अधि० अभि० (जोन-2)

अधि० अभि० (जोन-4)

मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि :- सहायक अभियन्ता (कम्प्यूटर) को इस आशय से कि उक्त निविदा सूचना को प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य अभियन्ता